Eastern Railway (Personnel Department)

17 N. S. Road, Kolkata - 700 001

Serial Circular No. 167/2023

No. E.1140/0/Pt.IV

Kolkata, Dated: 01/02/2024

All Concerned

(as per standard list)

Sub: Timeline for Inter Railway Own Request Transfers.

A copy of Ministry of Railways (Railway Board) letter no. E(NG)I/2023/TR/30, dated 26/12/2023 (RBE No.148/2023) is circulated herewith for information and strict compliance.

DA: As above.

(S.K.Chattopadhyay)
Sr. Personnel Officer/Admin.
For Pr. Chief Personnel Officer
Phone No. 24122 (Rly.)

Email ID: sandip.chattopadhyay@gov.in

Index No. 1078: Timeline for Inter Railway Own Request Transfer.

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I/2023/TR/30

New Delhi, dated 26.12.2023

The General Manager (P)
All Zonal Railways & PU's

Sub: Timeline for Inter Railway Own Request Transfers.

The existing process of inter railway transfers is currently devoid of strict timelines for completion of various stages. While the Human Resource Management System (HRMS) facilitates these transfers, the absence of a defined time limits has led to a lack of efficiency and transparency in the processes involved

Recognizing the need for a more streamlined and regulated approach, Board have decided to adopt following biannual timelines for own request transfers:

1) Divisions/Unit to assess provisional no. of staff and categories who can be spared i.e Divisions to make an action plan for Inter Railway Own Request Transfers.

Target Date: 1st cycle: 10th April of every year Target Date: 2nd cycle: 10th October of every year

2) Division/Units to convey consent for accommodating the staff or reject the request.

Target Date: 1st cycle: 30th April of every year Target Date: 2nd cycle: 30th October of every year

3) Final plan of Divisions for Own Request Transfers to be prepared by Divisions based on decisions received from Divisions/Units. Cases rejected by Divisions to be accounted for by the transferring Division and if necessary, further go down the priority list and advise other Divisions/Units.

Target Date: 1st cycle: 10th - 20th May of every year Target Date: 2nd cycle: 10th -20th November of every year

4) Next set of Divisions where staff is to be transferred to give consent for accommodating or reject.

Target Date: 1st cycle: 31st May of every year Target Date: 2nd cycle: 30th November of every year

5) The cycle to continue till 30/6 or 30/12.

Request Transfers stopped for 3 months Relieving by 30/9 for 1st cycle or 30/3 for 2rd cycle

Dy. Director/Estt.(N)

Railway Board Ph. No.43658/011-23303658

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS (रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.ई(एनजी)।/2023/टीआर/30

नई दिल्ली, दिनांक: 26.12.2023

महाप्रबंधक (कार्मिक), सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।

विषय: अंतर-रेलवे स्वयं अनुरोध स्थानांतरण के लिए समय-सीमा।

वर्तमान में अंतर-रेलवे स्थानांतरण की मौजूदा प्रक्रिया में विभिन्न चरणों को पूरा करने हेतु सख्त समय-सीमा निर्धारित नहीं है। यद्यपि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) इन स्थानांतरणों की सुविधा प्रदान करती है, एक निर्धारित समय-सीमा न होने से शामिल प्रक्रियाओं में दक्षता और पारदर्शिता की कमी हुई है।

अधिक सुव्यवस्थित और विनियमित दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, बोर्ड द्वारा स्वयं के अनुरोध स्थानांतरण हेतु निम्नलिखित छमाही समय-सीमा अपनाने का निर्णय लिया गया है:

1) मंडल/इकाई द्वारा उन कर्मचारियों और कोटियों, जिन्हें कार्यभार से मुक्त किया जा सकता है, की अनंतिम संख्या का आकलन अर्थात मंडलों को अंतर-रेलवे स्वयं अनुरोध स्थानांतरण हेतु एक कार्य तैयार करनी होगी।

लक्ष्य तिथि: पहला चक्र: प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल लक्ष्य तिथि: दूसरा चक्र: प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर

यंडल/इकाइयों द्वारा कर्मचारियों को समायोजित करने के संबंध में सहमति व्यक्त करने हेतु या अनुरोध का अस्वीकारण सूचित करना।

लक्ष्य तिथि: पहला चक्र: प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल लक्ष्य तिथि: दूसरा चक्र: प्रत्येक वर्ष 30 अक्टूबर

3) मंडलों/इकाइयों से प्राप्त निर्णयों के आधार पर मंडलों द्वारा स्वयं अनुरोध अंतरण के लिए मंडलों की अंतिम योजना तैयार किया जाना। मंडलों द्वारा अस्वीकृत मामलों को स्थानांतरित मंडल द्वारा देखा जाए और यदि आवश्यक हो, तो प्राथमिकता सूची में नीचे जाकर तथा अन्य मंडलों/इकाइयों को सूचित किया जाए।

लक्ष्य तिथि: पहला चक्र: प्रत्येक वर्ष 10 - 20 मई लक्ष्य तिथि: दूसरा चक्र: प्रत्येक वर्ष 10 - 20 नवंबर

 मंडलों का अगला सेट जहां कर्मचारियों को स्थानांतरित किया जाना है, समायोजित या अस्वीकार करने के लिए सहमित देने हेतु। लक्ष्य तिथि: पहला चक्र: प्रत्येक वर्ष 31 मई लक्ष्य तिथि: दूसरा चक्र: प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर

5) चक्र 30/6 या 30/12 तक जारी रहेगा।

अनुरोध स्थानांतरण 3 महीने के लिए रोका गया है। पहले चक्र के लिए 30/9 या दूसरे चक्र के लिए 30/3 कार्यभार मुक्त किया जाए।

> (संजय कुमार) र (अराजपत्रित)

उपनिदेशक/स्थापना (अराजपत्रित)

रेलवे बोर्ड

फोन नं. 43658/011-23303658

नई दिल्ली, दिनांक: 26.12.2023

सं.ई(एनजी)।/2023/टीआर/30

प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)।
- 2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियों सहित)।
- सभी सदस्य, विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष,
 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- 4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
- 5. सेक्नेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
- 6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'बी' ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 8. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 9. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 10. सेक्रेटरी, रेलवे बोर्ड प्रमोटी आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 11. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।

h.

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध)/रेलवे बोर्ड